

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2023-कार्तिक 26, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर, मध्यप्रदेश
क्र-जविप्रा-भू-अर्जन. 2023-9819
जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2023

“प्रारूप-उन्नीस”

[नियम 19 (13) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (11) के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-05/JBP/2022 अर्थात् ग्राम महाराजपुर, हथना एवं खैरी को संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भू-खण्ड तथा अन्तिम भू-खण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:-

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर.
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर.
3. नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर.
4. स्थानीय नगरीय निकाय नगर पालिक निगम, जबलपुर.
5. प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् jdajabalpur.org

उपरोक्त स्कीम दिनांक 17 नवम्बर 2023 से प्रभावशील होगी.

(G-2200)

दीपक कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे सुपुत्र का नाम अथर्व मोदी पिता विवेक मोदी (Atharva Modi S/o Vivek Modi) था. अब मेरे सुपुत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा, राजस्थान हाल मुकाम पुष्कर के संत श्री अमृतराम जी रामस्नेही से सन्यास की दीक्षा ग्रहण उपरांत मेरे सुपुत्र का नाम उसके गुरु के द्वारा प्रदत्त नया नाम आनंदराम रामस्नेही गुरु संत श्री अमृतराम जी रामस्नेही हो गया है एवं उपरोक्त दोनों नाम अथर्व मोदी पिता विवेक मोदी एवं आनंदराम रामस्नेही गुरु संत श्री अमृतराम जी रामस्नेही एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे सुपुत्र का है.

अतः भविष्य में मेरे सुपुत्र को उसके नए नाम आनंदराम रामस्नेही गुरु संत श्री अमृतराम जी रामस्नेही (Anandram Ramsnehi Guru Amritram Ramsnehi) से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये.

पुराना नाम (अथर्व मोदी)	नया नाम (आनंदराम रामस्नेही)
(G-2201)	निवासी- 203 बी स्कीम नंबर 71 रणजीत, हनुमान मंदिर के पास, इंदौर (म.प्र.).

आम सूचना

मेसर्स एस.एस. इन्टरप्राइजेस फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है जिसमें श्री देवेन्द्र गुप्ता आत्मज श्री जानकी प्रसाद गुप्ता अपनी स्वयं की इच्छा से दिनांक 17 जुलाई 2023 से फर्म से नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं.

(G-2202)	प्रार्थी फर्म मेसर्स एस.एस. इन्टरप्राइजेस, शैलेन्द्र कुमार तिवारी (भागीदार) Ward No. 7, Village Barana (Thar), पलेरा टीकमगढ़.
----------	--

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म M/s MRS INFRA जो Survey No 465 Bhatkhedi, Near ITM Hospital Jhansi Road Gwalior में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0104-23 दिनांक 30-08-2023 है, जिसमें दिनांक 18-07-2023 को भागीदार श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्ना लाल भारद्वाज, निवासी म.नं. 28, बाल काशी, ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 18 जुलाई 2023 को भागीदार श्री अर्चित भारद्वाज पुत्र श्री महेश भारद्वाज निवासी- म.नं. 28, बाल काशी, ललितपुर कॉलोनी, लश्कर ग्वालियर, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

(G-2203)	M/s MRS INFRA, (राजेश कुमार गुप्ता) (भागीदार) Survey No. 465 Bhatkhedi, Near ITM Hospital, Jhansi Road Gwalior.
----------	---

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म M/s P.N. GROUP जो GNH1/HT0017, HOTEL SANGEETA LAXMIGANJ GUNA में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-40-01-0177-15, दिनांक 31-12-2015 है, जिसमें दिनांक 16-10-2023 को करण राठौर पुत्र विनोद राठौर निवासी- भजन सेठ की कोठी सिसोदिया कॉलोनी. गुना (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

(G-2204)	M/s P.N. GROUP, (विनोद राठौर) (भागीदार) GNH1/HT0017, HOTEL SANGEETA, LAXMIGANJ GUNA.
----------	--

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
प्र.क्र. 0004/बी-113(1)/2023-24

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]
दिनांक 19 सितम्बर 2023 को जारी

जैसा कि मनोहर पालीवाल पिता मदनलाल पालीवाल, निवासी- वार्ड नंबर 18, पुरानी अनाज मंडी के पीछे, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को विचार किया जायगा।

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास	:	“श्री पालीवाल महाजन समाज पारमार्थिक ट्रस्ट खण्डवा”
का नाम एवं पता	:	तहसील व जिला खण्डवा
चल सम्पत्ति	:	21,000/-नगदी (शब्दों में इक्कीस हजार)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

अरविंद कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक,

(G-2205)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर, मध्यप्रदेश

क्र./पंजीयन/2023/2031

सागर, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), गढ़ाकोटा, शाखा-गढ़ाकोटा.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) गढ़ाकोटा, पंजीयन क्रमांक 15 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह- 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2206)

क्र./पंजीयन/2023/2033

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), पिपरिया भटोली, शाखा-गढ़ाकोटा।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035 भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) पिपरिया भटोली, पंजीयन क्रमांक 820 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्ड्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2207)

क्र./पंजीयन/2023/2034

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), चनौआ बुजुर्ग, शाखा-गढ़ाकोटा।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) चनौआ बुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 31 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्ड्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2208)

क्र./पंजीयन/2023/2035

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), चौका, शाखा-गढ़ाकोटा.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) चौका, पंजीयन क्रमांक 853 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2209)

क्र./पंजीयन/2023/2036

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), कुमरई, शाखा-गढ़ाकोटा.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) कुमरई, पंजीयन क्रमांक 17 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2210)

क्र./पंजीयन/2023/2037

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), सेवास, शाखा-गढ़ाकोटा.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) सेवास, पंजीयन क्रमांक 929 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2211)

क्र./पंजीयन/2023/2039

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), खैरा, शाखा-गढ़ाकोटा.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) खैरा, पंजीयन क्रमांक 885 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय

अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2212)

क्र./पंजीयन/2023/2041

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), गुन्जौरा, शाखा-गढ़ाकोटा.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) गुन्जौरा, पंजीयन क्रमांक 682 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की रस्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2213)

क्र./पंजीयन/2023/2042

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), पिपरिया पंचारा, शाखा-गढ़ाकोटा.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) पिपरिया पंचारा, पंजीयन क्रमांक 851 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2214)

क्र./पंजीयन/2023/2043

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), रहली, शाखा-रहली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) रहली, पंजीयन क्रमांक 132 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2215)

क्र./पंजीयन/2023/2044

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), खमरिया, शाखा-रहली।

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) खमरिया, पंजीयन क्रमांक 13 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के

निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2216)

क्र./पंजीयन/2023/2045

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), जूना, शाखा-रहली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) जूना, पंजीयन क्रमांक 23 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2217)

क्र./पंजीयन/2023/2046

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), कड़ता, शाखा-रहली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) कड़ता, पंजीयन क्रमांक 145 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है), को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2218)

क्र./पंजीयन/2023/2047

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), चाँदपुर, शाखा-रहली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) चाँदपुर, पंजीयन क्रमांक 12 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2219)

क्र./पंजीयन/2023/2048

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), धनगुवां, शाखा-रहली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) धनगुवां, पंजीयन क्रमांक 884 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G- 2220)

क्र./पंजीयन/2023/2049

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), छिरारी, शाखा-रहली

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) छिरारी, पंजीयन क्रमांक 662 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2221)

क्र./पंजीयन/2023/2050

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), बलेह, शाखा-रहली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बलेह, पंजीयन क्रमांक 16 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2222)

क्र./पंजीयन/2023/2051

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), खैराना, शाखा-रहली.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) खैराना, पंजीयन क्रमांक 861 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 4-12-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

(G-2223)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2023—कार्तिक 26, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)